कार्यालय नगर पंचायत भटनी बाजार, देवरिया

संख्या 1305(16) न0पं0भ0बा0 / 2015–16 दिनांक 02 जनवरी, 2016

अल्पकालीन कोटेशन सूचना

अधोहस्ताक्षरी द्वारा शा0 सं0 8 / 7951 / 92 13वां वित्त आयोग(सामान्य बुनियादी अनुदान द्वितीय किश्त)वित्तीय वर्ष / 2014– 15, लखनऊ दिनांक 01 अप्रैल, 2015 मु0–1231578.00, 8 / 2400 / 92(1) / 13वां वित्त आयोग / 2014–15 / 2015–16 लखनऊ दिनांक 30 अप्रैल, 2015 मु0–673423.00 एवं 8 / 2401 / 92(1) / 13वां वित्त आयोग / 2014–15 / 2015–16 लखनऊ दिनांक 30 अप्रैल, 2015 मु0–836350.00 तथा शा0 सं0 8 / 8780 / 171 / 14वें केन्द्र0वि0आ0 / 2015–16, दिनांक 04–09–2015 द्वारा 14 वां वित्त आयोग से प्राप्त मु0–2025232.00 अर्थात कुल मु0–4766583.00 (सैंतालिस लाख छाछठ हजार पांच सौ तिरासी मात्र) से कराये जाने वाले निर्माण कार्य एवं सामग्री आपूर्ति की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव जिलाधिकारी महोदय देवरिया को भेजा गया था। कार्यालय जिलाधिकारी देवरिया के पत्रांक सं0 934(7) / एल0वी0सी0–2015, दिनांक 15 दिसम्बर, 2015 द्वारा प्राप्त स्वीकृति के अनुपालन में नगर पालिका परिषद, जिला पंचायत, तथा लोक निर्माण विभाग आदि के पंजीकृत ठेकेदारों जिनका पंजीयन वर्तमान समय में प्रभावी है एवं रजिष्टर्ड फर्मों / दुकानों / एजेंसियों से मुहरबंद निविदाएं / दरें दिनांक 20–01–2016 को समय 12:00 बजे मध्यान्ह से 01:00 बजे अपरान्ह तक आमंत्रित की जाती है, जो जिलाधिकारी कार्यालय के टी0ए0सी0 पटल पर रखी गयी कोटेशन पेटिका में डाली जायेंगी व उसी दिन उपस्थित ठेकेदारों / उनके प्रतिनिधियों के समक्ष अपर जिलाधिकारी (वि0 / रा0) देवरिया के कार्यकक्ष में खोली जायेगी। निविदा प्रपत्रों की बिक्री दिनांक 19–01–2016 को पूर्वान्ह 11:00 बजे से अपरान्ह 03:00 बजे तक कार्यालय नगर पंचायत भटनी बाजार एवं कलेक्ट्रेट देवरिया स्थित एल0वी0सी0 / टी0ए0सी0 पटल से की जायेगी। निविदा / कोटेशन के साथ जमानत / धरोहर धनराशि के रूप में 10% एन0एस0सी0, के0वी0पी0 एफ0डी0आर0 आदि जो अध्यक्ष / अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत भटनी बाजार के पदनाम बंधक हो मुल रूप में संलग्न कर उसका उल्लेख निविदा / कोटेशन प्रपत्र पर करना अनिवार्य होगा। जमानत धनराशि के प्रपत्रों की छाया प्रति मान्य नहीं होगी। अनुदान से अधिक व्यय धनराशि का भुगतान राज्य वित्त से प्राप्त अनुदान / नगर कोष से किया जायेगा। निविदा / कोटेशन सम्बंधित जानकारी किसी भी कार्य दिवस में निविदा / कोटेशन प्रकाशन की तिथि से निविदा प्रपत्र की बिक्री की तिथि तक कार्यालय नगर पंचायत भटनी बाजार से प्राप्त की जा सकती है। यदि निविदा / कोटेशन प्रपत्र डालने की तिथि को कोई अवकाश पड़ता है तो निविदा / कोटेशन प्रपत्रों की डालने / खोलने की कार्यवाही अग्रिम तिथि को उक्त समयान्तर्गत की जायेगी। उक्त विज्ञापन को वेबसाइट www.deoria.nic.in पर भी देखा जा सकता है।

ठोस अपशिष्टः–

क0 सं0	सामग्री का नाम	जमानत धनराशि
1	2	3
1	हाथ ठेलागाड़ी	36800.00
2	सीवर सेक्शन मशीन 3000 लीटर वैट सहित	85000.00

जलमल व्यवस्था–

क0 सं0	सामग्री का नाम	जमानत धनराशि
1	2	3
1	महिला मुत्रालय	32500.00
2	पुरूष मुत्रालय	32500.00
3	मोबाइल बायोमेट्रिक शौचालय 06 सीटर डी0आर0डी0ओ0 एवं सोलर लाइट के साथ वैट सहित 01 अदद,	142000.00

ई गवर्नेन्सः–

क0 सं0	सामग्री का नाम	जमानत धनराशि
1	2	3
1	माइक्रोसाफ्ट विंडोज 8 जेनुविन साफ्टवेयर डी0वी0डी0	3000.00
2	माइक्रोसाफ्ट आफिस 2010 या उससे लेटेस्ट वर्जन	5000.00

	कार्यालय प्रयोग हेतु उपयुक्त एडीशन	

वर्षा जल निकासी

क्र0 सं0	निर्माण कार्य का नाम	आगणन धनराशि	जमानत धनराशि	निविदा प्रपत्र का मुल्य
1	2	3	4	
1	दरोगा के दुकान से संतोष के खेत तक नाला निर्माण कार्य	305600.00	30500.00	300.00
2	संतोष गुप्ता के खेत के पास क्रासिंग निर्माण कार्य	63400.00	6400.00	100.00
3	अवतार के मकान से प्रदीप लाल के जमीन तक नाला निर्माण कार्य	311000.00	31100.00	300.00
4	एन0एस0 पब्लिक स्कूल से कलीम के खेत तक नाला निर्माण कार्य	329100.00	33000.00	300.00
5	लालबाबू के खेत से अब्दुल्ला के खेत तक नाला निर्माण कार्य	44900.00	4500.00	100.00

नियम एवं शर्तें :–

1– निविदा/कोटेशन दाता को अनिवार्य रूप से अपना अद्यतन जिलाधिकारी से प्राप्त चरित्र प्रमाण पत्र, हैसियत प्रमाण पत्र एवं पंजीयन प्रमाण पत्र कोटेशन के साथ संलग्न करना होगा। अन्यथा कोटेशन पर विचार नहीं किया जायेगा।

2– सामग्री आपूर्ति हेतु कोई भी अतिरिक्त धनराशि देय नहीं होगी।

3– निविदा/कोटेशन दाता द्वारा सामग्री आपूर्ति का कोटेशन रजिष्टर्ड फर्मों/दुकानों/एजेन्सियों द्वारा अपने फर्म/दुकान/एजेन्सी के लेटर पैड पर स्पष्ट रूप से स्वहस्ताक्षरित अपना नाम, मोबाईल नं0 एवं पता अंकित करके तथा साथ ही साथ टिन, पैन, पंजीयन आदि प्रमाणपत्रों की छायाप्रति संलग्न करके जमा करना अनिवार्य होगा। अन्यथा उनके निविदा/कोटेशन पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

4– निविदा/कोटेशन दाता को अपने निविदा/कोटेशन के साथ 10% की दर से जमानत/धरोहर धनराशि आगणन की धनराशि के सापेक्ष किसान विकास पत्र/राष्ट्रीय बचत पत्र/बैंक एफ0डी0आर0/टी0डी0आर0 आदि को निविदा/कोटेशन प्रपत्र के साथ संलग्न करना होगा। बिना जमानत के निविदा/कोटेशन पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। प्रत्येक कार्य के लिए अलग–2 जमानत हेतु कि0वि0प0/एन0एस0सी0/बैंक एफ0डी0आर0/टी0डी0आर0 जमा करना आवश्यक होगा।

5– निविदा/कोटेशन स्वीकृति के पश्चात एक सप्ताह के अन्दर ठेकेदार को नियमानुसार कार्य के संबंध में स्टाम्प एक्ट के अनुसार 7 प्रतिशत जमानत धनराशि के सापेक्ष अपने व्यय से स्टाम्प कय कर अनुबंध/इकरारनामा अनिवार्य रूप से लिखना होगा।

6– ठेकेदार को निर्माण स्थल पर अपने निर्माण सामग्री की सुरक्षा स्वयं करनी होगी।

7– ठेकेदार को निर्माण कार्य कार्यादेश में दिये गये नियत समय के अन्दर पूर्ण करना होगा, यदि निर्धारित समय तक कार्य पूरा नहीं हुआ तो ठेकेदार द्वारा जमा जमानत की धनराशि जब्त करते हुए ठेका निरस्त कर दिया जायेगा, जिसकी सारी जिम्मेदारी संबंधित ठेकेदार की होगी।

8– ठेकेदार को आगणन के अनुसार निर्माण कार्य कराना होगा। निर्माण कार्य में किसी प्रकार की त्रुटि/कमी पाये जाने पर कोटेशन निरस्त की जा सकती है।

9– निर्माण कार्य स्थल पर किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर जिला प्रशासन/न0पं0 द्वारा दिए गये आदेशों/निर्देशों का पालन ठेकेदार को करना होगा।

10– जमानत की धनराशि, स्थल पर कार्य संतोषजनक पाये जाने पर अंतिम भुगतान के पश्चात छः माह व्यतीत हो जाने पर, जमानत धनराशि वापस की जा सकेगी ।

11– निविदा/कोटेशन दाता को अपनी निविदा/कोटेशन स्पष्ट रूप से कम या अधिक प्रतिशत में देनी होगी।

12– किसी भी निविदा/कोटेशन या समस्त निविदाओं/कोटेशनओं को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी में निहित होगा।

13– निविदा/कोटेशन प्रपत्र पर निविदा/कोटेशन दाता के स्पष्ट हस्ताक्षर होने चाहिये तथा संलग्न जमानत धनराशि का उल्लेख कोटेशन प्रपत्र में अंकित होना आवश्यक है अन्यथा कोटेशन मान्य नहीं होगी।

14– किसी भी ठेकेदार अथवा उसके सहयोगी द्वारा निविदा/कोटेशन इत्यादि कार्य में अपमान, अभद्रता, दुर्व्यवहार इत्यादि करने पर सम्बन्धित को ब्लैक लिस्टेड (काली सूची में) करते हुए प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी जायेगी।

15– निविदा/कोटेशन प्रपत्र पर कटिंग/ओवरराइटिंग मान्य नहीं होगा।

16– निविदा/कोटेशन स्वीकृति के पश्चात जमानत की धनराशि तथा नियमानुसार स्टाम्प पेपर पर एकरारनामा लिखने के पश्चात ही कार्यादेश जारी किया जायेगा।

17– सम्बंधित फर्मों/दुकानों/एजेंसियों द्वारा अपने फर्म/दुकान/एजेंसी के लेटर पैड पर क्रय सामग्री का कोटेशन मुहरबंद लिफाफें में देना अनिवार्य होगा, अन्यथा कोटेशन पर विचार नहीं किया जायेगा।

18– 13वां वित्त आयोग के धनराशि के भुगतान की अवधि 31–03–2016 तक ही है।

19– भुगतान शासकीय अनुदान की शर्तों तथा वित्तीय नियम संग्रह के अनुसार किया जायेगा।

20– निविदा/कोटेशन अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी के नाम सीलबंद लिफाफे में निर्धारित तिथि व समय के अन्तर्गत निविदा/कोटेशन पेटिका में डालना होगा। लिफाफे पर प्रेषक का नाम पता इत्यादि स्पष्ट लिखा होना अनिवार्य है।

(सीताराम यादव)
अधिशासी अधिकारी
नगर पंचायत भटनी बाजार
देवरिया।

(विजय कुमार गुप्त)
अध्यक्ष
नगर पंचायत भटनी बाजार
देवरिया।